बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक.....154

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 17/1/2013

विषय: राजस्व मद में संग्रहित राशि को कोषागार में जमा करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 5109 दिनांक 31.12.2012 का निदेश करें । संबंधित पत्र के माध्यम से आपको निर्देश दिया गया था कि राजस्व मद में संग्रहित राशि को प्रत्येक माह के 15वी तारीख एवं अंतिम तिथि से एक दिन पहले निश्चित रूप से कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करें ।

2. विभिन्न स्तर पर समीक्षा में यह पाया गया है कि संग्रहित राशि एवं सी.टी. आई.एम.एस. में प्रदर्शित राशि में भारी अंतर आ रहा है और केवल माह में दो दिन संग्रहित राशि को कोषागार में जमा करवाना संग्रहित राशि एवं सी.टी.आई.एम.एस. में प्रदर्शित राशि में अंतर कम करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि संग्रहित राशि को बैंक एकाउन्ट में रखना भी वित्तीय प्रबंधन के दृष्टिकोण से सही नहीं है ।

3. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये पूर्व में निर्गत पत्र में आंशिक संशोधन करते हुये यह निर्देश दिया जाता है कि संग्रहित राशि को सरकारी राजस्व मद में प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, वृहस्पतिवार, माह के एक दिन पूर्व एवं माह समाप्ति के एक दिन बाद आवश्यक रूप से कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करें । उदाहरणस्वरूप सोमवार, मंगलवार, बुधवार में संग्रहित राशि वृहस्पतिवार को एवं वृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार को संग्रहित राशि को निश्चित रूप से सोमवार को सरकारी राजस्व मद में जमा करवाना सुनिश्चित करें ।

4. यदि उपर्युक्त तिथियों को अवकाश पड़ता है तो अगले कार्य दिवस को राशि जमा करवाना सुनिश्चित किया जाय ।

5. उपरोक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं इसकी अवहेलना को गंभीरता से लिया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

17/1/13

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

vijay 2013 letter P- 11